



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

निविदा सूचना संख्या- 02/2024-25

दिनांक :

अति अल्पकालीन सामान्य निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यो हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं:-

क. सं.	कार्य का नाम	बी.ओ.व्यू धनराशि (रु. लाख में)	घरोहर धनराशि (रुपये में)	निविदा मूल्य (रुपये में) समस्त करों सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पात्र श्रेणी	अभि0 खण्ड
1.	आगरा इनर रिंग रोड प्रथम चरण पर कुबेरपुर पर मां गायत्री कोल्ड स्टोर की तरफ से पलाई ओवर पर जाने वाले मार्ग पर गडदों को भरते हुए सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	7.69	15,500/-	590/-	03 माह	ई	इनर रिंग रोड

- उक्त कार्यो की निविदायें दिनांक 15.05.2025 को आमंत्रित की जाती हैं। यह निविदायें मुख्य अभियंता कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में दिनांक 15.05.2025 को अपराह्न 3:00 बजे तक डाली जा सकेंगी तथा उसी दिन निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष 3:30 बजे खोली जायेगी।
- निविदा प्रपत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियंता कार्यालय से दिनांक 09.05.2025 से 15.05.2025 के अपराह्न 3:00 बजे तक निविदा मूल्य भुगतान कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।
- निविदा सम्बन्धी विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaagra.org.in पर देखी जा सकती हैं।
- वांछित घरोहर धनराशि राष्ट्रीय कृत बैंक की FDR/NSC के माध्यम से, जो कि अधिशासी अभियंता के पक्ष में बंधक की गई हो। निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। घरोहर धनराशि के अभाव में निविदा सीलबंद कर दी जायेगी।
- निविदा डालने से पूर्व निविदादाता स्थल का निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की स्थिति का आकलन अवश्य कर ले। समस्त शंकाओं का समाधान अधिशासी अभियंता से कर ले। निविदा डालने के उपरान्त निविदादाता का कोई भी पक्ष मान्य न होगा। सरार्त निविदा मान्य न होगी।
- निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।
- निविदा की दरें कार्य की लागत से निम्न होने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या-692/23-07-2024, दिनांक 09 अगस्त, 2024 के अनुसार वांछित परफॉरमेंस गारन्टी अनुबन्ध से पूर्व देय होगी।
- निविदादाता को नियमानुसार आयकर विभाग, श्रम विभाग, जी.एस.टी. विभाग एवं अन्य कोई विभाग (जहाँ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- सभी निविदादाताओं को श्रम विभाग, जी.एस.टी. एवं अन्य कोई विभाग (जहाँ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों को अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी निम्न तक भी निविदा डालने का अधिकार होगा।
- विशिष्ट श्रेणी के कार्यो के अन्तर्गत प्रश्नगत कार्य में दक्ष निविदादाता / फर्म द्वारा भाग लिया जा सकता है। इन कार्यो हेतु प्राधिकरण में पंजीकरण की बाध्यता न होगी। सफल निविदा दाता को पंजीकरण की औपचारिकता पूर्ण करानी होगी।
- विशिष्ट श्रेणी के कार्यो में Two Bid System के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित होगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।
- सिविल कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होंगे।
- टू-बिड पद्धति पर आमंत्रित निविदाओं के कार्यो में समान प्रकृति के कार्यो का अनुभव रखने वाली फर्म द्वारा ही निविदा में प्रतिभाग किया जा सकेगा।
- यदि कोई ठेकेदार/एजेन्सी किसी भी विभाग में विगत 05 वर्षों में काली सूची में दर्ज अथवा निविदाओं में प्रतिभाग से डिबार की गयी हो, उसके द्वारा प्राधिकरण की निविदाओं में प्रतिभाग नहीं किया जायेगा, निविदादाता को इस आशय का शपथ-पत्र भी अपलोड करना होगा।
- ई-निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण में निहित होगा, जिसको किसी भी मा0 न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

पत्रांक : 09/डी/सी.ई./2025-26, दिनांक : 06/05/2025

प्रतिलिपि :-

- उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
- सचिव महोदया को सूचनार्थ।
- वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ।
- प्रभारी आई.टी.सेल को प्राधिकरण वेबसाइट एवं ई-टेंडरिंग साइट पर प्रकाशित कराने हेतु।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता को कार्य की बी.ओ.व्यू एवं अन्य प्रपत्र समयान्तर्गत ई-टेंडरिंग साइट पर अपलोड कराने हेतु।
- प्र0 जनसम्पर्क अधिकारी को प्राधिकरण वेबसाइट एवं दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।
- नोटिस बोर्ड।

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

